

173



राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर।

क्रमांक :-प1(1) कार्मिक/नि.चि./31/08/1723

दिनांक:- 26/8/08

कार्यालय-आदेश

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम 1970 के अन्तर्गत हाऊसिंग बोर्ड कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं में विस्तार करते हुये शर्मा डेन्टल हॉस्पिटल, एस-7, रेनबो टावर के पास, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर, को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता प्रदान की जाती है। उक्त चिकित्सालय द्वारा कुल देय बिल पर 10 प्रतिशत की छूट देय होगी।

उक्त आदेशों को आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा मंडल के निर्णय की पूर्ण अपेक्षा में जारी किया जाता है।

सचिव

C/c

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख निजी सचिव-अध्यक्ष/आवा.आयुक्त/मुख्य अभियंता I/II रा0आ0म0, जयपुर।
2. व0नि0स0--सचिव/वि0स0 एवं मुख्यलेखाधिकारी, राज0आ0मण्डल, जयपुर।
3. अति0 मुख्य अभियंता .....राज0आ0मण्डल, जयपुर।
4. उप आवासन आयुक्त वृत्त..... रा0आ0म0.....।
5. आवासीय अभियंता खण्ड.....रा0आ0म0.....।
6. शर्मा डेन्टल हॉस्पिटल, एस-7, रेनबो टावर के पास, आम्रपाली मार्ग, वैशाली नगर, जयपुर। मोबाईल नं. - 9828519762
7. समस्त प्रकोष्ठ मुख्यालय..... राज0आ0मण्डल, जयपुर।
8. नोटिस बोर्ड /रक्षित पत्रावली।

सचिव

C/c

23/8/08